Government Polytechnic College Karauli
Electrical Dept.
IInd Test
Subject :- ENTREPRENEURSHIP and Management
Code :- EE 210
Date :- 20/1/18
Max marks :- 15

Question Paper

Attempt any three questions out of following four questions.

Q. 1. How iron and steel are alloted to an industry?

Q. 2. Write down the main function of C.S.P.O.

Q. 3. Explain the different types of lones Provided by different orgnisatior to SSI.

Q. 4. What is tander? Give types of tender. Explain tending Procedure?

---

(1) उद्योगों में इस्पात व लौह का आवंटन –
भारत में औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही लोहा व इस्पात का निर्माण अधिकांश सरकारी उपक्रमों में ही होता रहा है व इनकी मांग उत्पादन क्षमता से अधिक रही है। अतः वे उद्योग या उपकरण जिसमें लोहा व इस्पात कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कि सहायतार्थ "लोहा व इस्पात नियंत्रण आदेश, 1956 बनाया गया। इस आदेश के तहत कच्चा माल प्रस्तुत मंत्र उद्योगों को सही कीमत पर आसानी से उपलब्ध कराया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में इस्पात उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं व अब कुछ विशेष प्रकार के इस्पात के अतिरिक्त लोहा व इस्पात का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है व यह उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जिस पर पहले नियंत्रण था

शीट, पिग आयरन, छड़े, वायर रॉड, सेक्शन बार, प्लेट, एच आर क्वायल, सी. आर शीट, जी. पी. शीट, जी. सी. शीट, पाइप, ग्रिल आदि उत्पादन, जो की उद्योगों के लिए कच्चे माल हैं, पहले सीमित मात्रा में कुछ लोगों के नियंत्रण में रहते थे तथा इन पर कुछ लोगों का ही एकाधिकार रहता था पर अब ये उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

Scanned by CamScanner

(2) केंद्रीय भंडार क्रय संगठन राज्य स्तर पर सरकारी विभागों की आवश्यकता की पूर्ति करना है। यह संगठन अनेक उद्योगों के साथ अनेक वस्तुओं की Supply करने के लिए अनुबंध करता है। जो दर अनुबंध कहलाता है। इस अनुबंध की अवधि एक वर्ष होती है। इस अनुबंध में विशेष विवरण व शर्तें दी होती है जिसके अनुसार कोई भी विभाग इन वस्तुओं की आवश्यक मांग की सप्लाई करने के लिए आदेश दे सकता है। इस माल का निरीक्षण डी. एस. जी. डी. के निरीक्षण विभाग द्वारा सप्लाई करने से पहले किया जाता है।

इस संगठन की खरीद में राज्य की लघु इकाइयों को लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने क्रय नियम निर्धारित किए हैं। लगभग 130 वस्तुओं को लघु उद्योग से क्रय करने के लिए आरक्षित किया गया है।

---

(3) SSI को विभिन्न बैंक व वित्तीय संस्थाएँ उद्योगों के स्थापन हेतु भूमि, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरणों आदि के लिए ऋण प्रदान करते हैं यह ऋण निम्न हैं -

(1) NORMAL Turm Lone :- स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए 50 लाख रुपए तक प्राइवेट / पब्लिक लि. कम्पनियों के लिए तथा 30 लाख रुपए तक एकल स्वामित्व साझेदारी फर्मों और ऐसी अन्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए, एस. एफ. सी, ऑफिस व टेलेक्स सुविधाओं के लिए भी वित्तीय सहायता देते हैं।

(2) LONE for Technocrats :- विशेष व्यवसायिक योग्यता वाले व्यक्तियों को उदार शर्तों पर बिना किसी मार्जिन व प्रतिभूति के 9 लाख रु. तक का ऋण।

(3) Single Window Scheme :- लघु व अतिलघु क्षेत्र के इकाइयों की स्थायी परिसम्पत्तियों व कार्यशील पुंजी दोनों की आवश्यकता की आपूर्ति हेतु।

(4) Composite Term loan :- भवन निर्माण, उपकरणों और कार्यशील पुंजी की आवश्यकता की आपूर्ति हेतु।

(5) Equipment Refinance :- लघु व मध्यम उद्योगों को विदेशी मुद्रा का सीधा ऋण जो पुंजीगत सामग्री / यंत्र संयंत्रों की खरीद / आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक उपकरणों यथा विस्तार, संतुलन, ऊर्जा बचत, प्रदूषण निवारणार्थ आदि जो किसी विशिष्ट परियोजना से सीधा संबंधित न हो।

(6) Loan for Quality Control facility :- परीक्षण उपकरणों व गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों के लिए लघु उद्योगों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना ताकि उनके उत्पाद बाजार में अच्छी प्रकार स्वीकृत हो सके।

(7) Assistence for marketing entrepreneurs :- लघु उद्योग क्षेत्र में व कुटीर क्षेत्र तथा ग्रामोद्योग के उत्पादों के विपणन हेतु [illegible] विक्रय केंद्र स्थापित करने के लिए या विद्यमान इकाई के [illegible] केंद्रों के नवीनीकरण / विस्तार के लिए।

Scanned by CamScanner

(8) Lone for Women Entrepreneurs :- लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले सभी उद्योग के लिए जिनमें अतिलघु ग्रामीण व कुटीर उद्योग भी सम्मिलित है। जिनका प्रवर्तन व प्रबंध महिला उद्यमियों द्वारा किया जाए।

(9) Lone for SC/ST Entrepreneurs :- 2000 रु. से 5 लाख रु. तक का ऋण उधार व रियासती शर्तों पर स्थायी परिसंपत्तियों, परिवहन वाहन आदि के लिए। किराये के भवन में यंत्र संयंत्रों की स्थापना हेतु सहायता प्रकरणों की नीजी स्थिति पर निर्भर होगी।

(10) National Equity fund :- लघु उद्योग क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाईयों को इक्विटी सहायता सुगम ऋण के रूप में।

(11) Lone for hospital and Nursing Homes :- नये अस्पताल / नर्सिंग होम की स्थापना के लिए जहाँ एलोपैथिक चिकित्सा एवं निदान की सुविधा आउटडोर व इनडोर रोगियों के लिए उपलब्ध हो। पूर्व में स्थापित ऐसी संस्थाओं को जो योजना के अनुसार मापदंड पूरे करती है, उन्हें भी यह सुविधा उपलब्ध है।

---

(4) Tender :- Tender एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बंद लिफाफे में पूर्व निर्धारित समय पर Tender समिति द्वारा आवश्यकता की सामग्री की उपलब्धता व कीमत की जानकारी ली जाती है।

Tender चार प्रकार के होते हैं -

(i) Limited Tender
(ii) Open Tender
(iii) Negotiated Tender
(iv) Two Stage Tender

Tendring Process :- प्रत्येक विभाग या नियोजक जब निविदा आमंत्रित करता है तो उस कार्य को व्यवस्थित व दोष रहित बनाए रखने के लिए कुछ निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करता है निविदा आमंत्रण व ठेकेदार चयन के प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार है -

(i) Preparation of Tender Documents :- नियोजक या विभाग निविदा सूचना जारी करने से पूर्व उस कार्य संबंधी संपूर्ण जानकारी व सूचनाऐं एकत्रित करके निविदा आमंत्रण के पश्चात निश्चित राशि पर निविदा प्रपत्र ठेकेदार को उपलब्ध कराता है।

सूचनाऐं निम्न प्रकार है -

1. कार्य का उद्देश्य व स्वरूप
2. कार्य की परिकल्पना व रेखाचित्र
3. कार्य की अनुमानित लागत
4. कार्य की गुणवत्ता का स्तर
5. विभाग / नियोजक द्वारा उपलब्ध संसाधन
6. कार्य निष्पादन की प्रक्रिया
7. कार्य समापन की समय अवधि

Scanned by CamScanner

(8) कार्य के स्वरूप की प्रकृति प्रणाली
(9) अनुबंध की प्रकृति आदि आदि।

(ii) Release of Tender Notice :- निविदा प्रपत्र तैयार करने के बाद समाचार पत्रों में विज्ञापन के द्वारा निविदा सूचना जारी की जाती है, जिसके लिए निम्न बिंदु आवश्यक हैं

(1) कार्य-स्वरूप का विवरण
2. अनुमानित लागत
3. निविदा शुल्क
4. धरोहर राशि
5. कार्य पूर्ण करने की अवधि
6. निविदा खोलने की तिथि
7. निविदा [illegible] [illegible]।

(iii) Acceptance of Sealed Tenders :- [illegible] निविदा सूचना की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निविदा [illegible] हैं;

(iv) Opening of Tender offers :- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निविदा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जाती है;

(v) Security of Tender offers :- [illegible] सुरक्षा की जिम्मेदारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी [illegible] जाती है, निविदा [illegible] [illegible] है कि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निविदा [illegible] [illegible] है;

(vi) Preparation of Comparative Statement :- [illegible] [illegible] खोलने के बाद सभी निविदाओं के प्रस्तावों की जानकारी [illegible] [illegible] तैयार करते हैं जिसे तुलनात्मक पत्र कहते हैं;

(vii) Inspection and Acceptance of Tender :- निरीक्षण द्वारा प्राप्त निविदा प्रस्तावों निर्धारित दस्तावेजों की निविदा खोलने के पश्चात जाँच की जाती है; निविदादाताओं की जाँच में [illegible] निविदादाता की कार्य की क्षमता, कार्य कुशलता, पहले किए गए कार्यों का विवरण, उनका अनुभव, उपलब्ध संसाधन आदि का विवरण तैयार करके एक निश्चित मापदंड पर खरे उतरने वाले निविदादाताओं की सूची तैयार करते हैं; इसी समय धरोहर राशि [illegible] की भी जाँच की जाती है; इसके अभाव में भी निविदा प्रस्ताव अयोग्य माने जाते हैं;

Scanned by CamScanner